बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

32, हार्डिंग रोड, पटना-800001

फोन- 0612-2231563, फैक्स नं॰ : 2231562, 2215089, बेबसाईट : **www.bsea.bih.nic.in**

पटना/ दिनांक 27/05/2017

अधिसूचना

संख्या नि0 प्रा0/नि0 01-03/2017...407...सहकारिता विभाग की अधिसूचना संख्या 4338 दिनांक 26.05.2017 द्वारा बिहार सहकारी सोसाईटी अधिनियम 1935 (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा-14 की उपधारा (2) के द्वितीय परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा प्रथम परंतुक के अनुसार सभी प्रखंडस्तरीय मत्स्यजीवी सहयोग समितियों के बोर्ड में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन-जाति, पिछड़े वर्गो एवं अति पिछड़े वर्गो के लिए उपबंधित क्रमशः दो-दो स्थानों के आरक्षण के प्रावधान को अगले आदेश तक अपवर्जित कर दिया गया है।

अतः सभी **प्रखंडस्तरीय मत्स्यजीवी सहयोग समितियो** के बोर्ड में इन वर्गो के सम्बन्ध में प्राधिकार द्वारा निर्गत सभी निदेश एवं सभी प्रपत्रों/अनुसूचियों में इन वर्गो के लिए की गयी प्रविष्टियाँ एतद् द्वारा विलोपित किये जाते हैं। यथा प्राधिकार की अधिसूचना संख्या 311 दिनांक 09.05.2017 एवं 399 दिनांक 26.05.2017 द्वारा प्रखंडस्तरीय मत्स्यजीवी सहयोग समिति के बोर्ड के निर्वाचन के लिए दिनांक 31.05.2017 को प्रपत्र ई-1 में सूचना प्रकाशित करने के लिए उस प्रपत्र की कंडिका-II को निम्न प्रकार प्रस्थापित समझा जायेगा:-

" II. अध्यक्ष/सचिव के पद को छोड़कर कुल संख्या के 50 प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम किंतु 50 प्रतिशत से किसी परिस्थिति में अधिक नहीं पद महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। महिला सदस्य नहीं रहने की स्थिति में यह पद रिक्त रहेगें । "

ह०/-

(फूल सिंह)

मुख्य चुनाव पदाधिकारी

ज्ञापांक : पटना/ दिनांक

प्रतिलिपि : ई-गजट शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि प्रकाशित अधिसूचना की 50 प्रतियाँ प्राधिकार को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

ह०/-

मुख्य चुनाव पदाधिकारी

ज्ञापांक : 407 पटना/ दिनांक 27/05/2017

प्रतिलिपि : संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/ संबंधित जिला पदाधिकारी -सह- जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स॰ स॰)/ संबंधित पुलिस अधीक्षक/संबंधित नोडल पदाधिकारी/ संबंधित जिला सहकारिता पदाधिकारी /संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी -सह- निर्वाचन पदाधिकारी (स॰ स॰), को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. सभी संबंधित जिला पदाधिकारी -सह- जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स० स०) से अनुरोध है कि वे इस चुनाव कार्यक्रम की प्रतियां अपने स्तर से भी ससमय संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी -सह- निर्वाचन पदाधिकारी (स० स०) को उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

मुख्य चुनाव पदाधिकारी